नेशनल पीस पार्टी सेकुलर जिन्दाबाद | सर सय्यद अहमद खाँ अमर रहें | डॉ मसूद अहमद जिन्दाबाद | डॉ बी. आर. अम्बेडकर अमर रहें

NATIONAL PEACE PARTY SECULAR

230

दिनांक ....

वसी अहमद सिद्दीकी
राष्ट्रीय अध्यक्ष
बी.पी. 8/14ए, करेली, इलाहाबाद , उ0 प्र0
फोन न0. 9198607280, 9305651285
ई–मेल : w.a.siddiqui.npps@gmail.com

09 JAN 2015

पत्रांक सं0–56/57/2013/रा0द0अनु0–1

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 महोदय
(चतुर्थतल) विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001.

विषय– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों की पारदर्शिता से सम्बन्धित निर्गत 29.08.2014 के दिशा निर्देशों को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में एवं Default in filling statement of Expenditure by unrecognized Political Parties–regarding.

महोदय,

1. उपर्युक्त विषयों के सम्बन्ध में श्रीमान् जी के पत्रांक पत्र सं0–2703/सी0ई0ओ0 2–10/2–2013 दिनांक 11.12.2014 एवं 2705/सी0ई0ओ0 2–10/2–2013 दिनांक 11.12.2014 के सन्दर्भ में ।

2. सन्दार्भाकित पत्रो के सम्बन्ध मे सादर निवेदन है कि नेशनल पीस पार्टी सेक्युलर की राजनैतिक दल के रूप में पंजीयन प्रक्रिया 11.12.2013 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत की गयी, जो पार्टी मुख्यालय में दिसम्बर 2013 के अंतिम क्षणों में प्राप्त हुयी। तद्पश्चात् पैनकार्ड के लिए आवेदन किया गया जो प्रथमपक्ष निरस्त कर दिया गया, पुनः

आवेदन करने पर जून 2014 में पैनकार्ड प्राप्त हुआ, जिसकी गर्वनमेन्ट नोटरी द्वारा सत्यापित छायाप्रति माननीय भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया गया, कागजी/पत्राचार/ औपचारिक प्रक्रिया अपूर्ण होने / जारी रहने के कारण पार्टी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2014 के निर्वाचन मे पारदर्शिता बनाये रखने एंव भारत निर्वाचन आयोग के मानक बिन्दुओं को ध्यान में रखकर भाग नहीं लिया, ऐसी दशा मे नेशनल पीस पार्टी सेक्युलर निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित सूचना निर्णारित प्रारूप पर उपलब्ध प्रेषित न कर पाने के लिए विधिसम्मत है / न्यायसंगत है एवं छूट की अधिकारी है।

3. यह कि उपरोक्त सम्बन्ध में एक शपथपत्र कानपुर कचेहरी परिसर से गर्वमेन्ट नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर इस पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय का समय-समय पर सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा।

सहयोग के लिए धन्यवाद !

संलग्नक-एक हलफनामा-3पृष्ठ

दिनांक-05.01.2015

भवदीय

(वसी अहमद सिद्दीकी)
राष्ट्रीय अध्यक्ष
मो0-09198607280

NATIONAL PEACE PARTY SECULAR
Wasi Ahmed Siddiqui
National President
Mob No
09198607280
H.O. PASOHPUR BIURAUDHAN KAUSHAMBI-212218

<u>प्रतिलिपि-</u> सेवा में,
मा0 भारत निर्वाचन आयोग
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
हलफनामें की सत्यापित छायाप्रति संलग्न (एक हलफनामा-3पृष्ठ) ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

55AC 173897

NOTARY
M.N. Srivastava
Advocate
KANPUR (U.P.)
Regd. No. 67/(14)
2000
GOVT. OF UTTAR PRADESH

05/01/15

शपथपत्र

शपथपत्र मिनजानिब वसी अहमद सिद्दीकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल पीस पार्टी सेक्युलर, निवासी रसूलपुर बिउर, पोस्ट–औधन, तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी, – 212218 उ0प्र0 ।

Default in filling statement of Expenditure by unrecognized Political Parties–regarding. And Clarification Transparency guidelines for the Political Parties used by Election Commission of India on 29-08-2014 – matter reg.

मैं उपरोक्त शपथकर्ता सशपथ उपर्युक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं0–76/PPEMS/Transparency/2014 dated 14-10-2014 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के पत्र सं0–2583/सी0ई0ओ0 2–10/2–2013 दिनांक 28.10.2014 एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्र

सं0-76/EE/2014/PPEMS dated 28-11-2014 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के पत्र सं0-2705/सी0ई0ओ0 2-10/2-2013 दिनांक 11.12.2014 एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं0-76/PPEMS/Transparency/2013 dated 19-11-2014 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के पत्र सं0-2703/सी0ई0ओ0 2-10/2-2013 दिनांक 11.12.2014 के माध्यम से प्राप्त हुये के सन्दर्भ मे निम्नलिखित बयान करता हूँ :-

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है व नेशनल पीस पार्टी सेक्युलर का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और शपथपत्र में दिये गये कथनों से बखूबी वाकिफ है।
2. यह कि उपर्युक्त सन्दर्भ में शपथकर्ता एक शपथपत्र कानपुर कचेहरी परिसर से दिनांक 03.12.2014 को गर्वनमेन्ट नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर नेशनल पीस पार्टी सेक्युलर के पक्ष दिनांक 03.12.2014 के माध्यम से प्रेषित किया है।
3. यह कि भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोका रोड, नई दिल्ली, नेशनल पीस पार्टी सेक्युलर की राजनैतिक दल के रूप में पंजीयन प्रक्रिया 11.12.2013 को निर्गत की गयी, जो कि दल के मुख्यालय में दिसम्बर 2013 के अंतिम क्षणों में प्राप्त हुई।
4. यह कि नेशनल पीस पार्टी सेक्युलर ने निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार दल के पैनकार्ड हेतु आवेदन किया, जो प्रथम बार निरस्त हो गया, पुनः आवेदन करने पर मई 2014 में दल का पैनकार्ड प्राप्त हुआ, जिसकी सत्यापित छायाप्रति भारत निर्वाचन आयोग को निर्धारित 6 माह के अन्दर प्रेषित कर दिया गया।

NOTARY
M.N. Srivastava
Advocate
KANPUR (U.P.)
Regd. No. 67/(14)
2000
GOVT. OF UTTAR PRADESH

5. यह कि नेशनल पीस पार्टी सेक्युलर का बैंक एकाउन्ट खाता सं0-13600200000164 बैंक आफ बड़ौदा, शाखा-नेवादा, कौशाम्बी, उ0प्र0 मे दिनांक 09.10.2014 को खुला ।
6. यह कि कागजी / पत्राचार/ औपचारिक प्रक्रिया अक्टूबर 2014 में पूर्ण हुयी जिससे नेशनल पीस पार्टी सेक्युलर का लेखा-जोखा स्थगित रहा / तैयार नहीं हो पाया।
7. यह कि नेशनल पीस पार्टी सेक्युलर ने पारदर्शिता बनाये रखने के लिए सामान्य लोक सभा चुनाव 2014 में एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा और न ही कुछ खर्च किया न ही लेखा-जोखा तैयार किया।
8. यह कि नेशनल पीस पार्टी सेक्युलर निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित सूचना / पार्टी फण्ड का वार्षिक लेखा-जोखा 2013-14 प्रस्तुत न कर पाने के लिए विधि सम्मत है और छूट की अधिकारी है।

........शपथकर्ता

सत्यापन-

मैं उपरोक्त शपथकर्ता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र की धारा 01 लगायत 08 मेरी निजी जानकारी में सब सत्य एवं सही है कुछ भी असत्य नहीं है और न ही कोई कथन छिपाया गया है।

यह सत्यापन आज दिनांक 05.01.2015 को कानपुर कचेहरी परिसर में किया गया।

......शपथकर्ता

Sworn before me this day of ...
by Shri .... to whom the
Contents of the affidavit have been
read over ... explained who is duly
identified ...

M.N. Srivastava Advocate
Govt. Notary, Kanpur (U.P.)
05/01/15